"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 दिसम्बर 2006—अग्रहायण 17, शक 1928

भाग 3 (1)

विविध

निविदा सूचनाएं

Raipur, the 2nd December 2006

TENDER NOTICE

No. GB-V/Machinery (12) R. P. 2006-2007/1161.— Sealed Tenders are invited from the manufactures or their Agents/Authorised Dealers for the supply of D. T. P. Computer with Colour Monitor, Table Top Scaner, Colour Laser Printer A-3, A-4 size, Laser Printer A-4 size, Automatic Plate Processor, Metal Helide Exposing system, Plate Bender, Register punch, Web and Sheet fed Offset, Printing, Cutting and Stitching machines to the Govt. Press Raipur and Rajnandgaon while submitting the tender, write down the following lines "TENDER FOR THE SUPPLY OF COMPOSING, PRINTING, PROCESSING & BINDING MACHINES 2006-07" on the top of envelopes. It should reach to the undersigned office latest by 3.00 p. m. on 2nd January 2007. The tender shall be opened on the same day at 4.00 p. m. in the presence of such tenderers or their authorised representatives who may choose to be present.

2. The detailed specifications of the machines and quantity required is given in the Tender Form. Tender Form with schedule of approximate requirement specifications and the terms and conditions of contract can be obtained from the office of the undersigned in person at a cost of Rs. 1000.00 (Rupees One Thousand only) in cash on any working day during working hours upto 30th December 2006 or by post for Rs. 1100.00 (Rupees One Thousand One Hundred only) payable by Demand Draft in favour of the Director Govt. Printing and Stationery, C. G. Raipur but the required Bank Draft and application for purchase of Tender Form is received in this Office upto 26-12-2006.

3. The tender will be considered on the tender form supplied by us. It can also be submitted on the form downloaded from our website www.etendersindia. net.

4. The Tender Form will be despatched by Registered Post or Courier Service or by Speed Post but this office shall not be responsible if it is delivered late due to postal delay at both ends. It is advisable that Tender Form may be obtained either in person or from our website. Cost of tender form once received shall not be refunded.

5. In case if tenderer obtained the tender form from our website he shall have to submitted Rs. 1000 (Cash) in our office day before the date of submission of tender otherwise the tender will not be accepted.

Note :— Tender form can be downloaded from www.etendersindia. net.

Sd/-
(N. S. Mandavi)
Director,
Govt. Printing and Stationery
C. G. Raipur.

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, दुर्ग

प्रारूप-चार
[नियम 5 (1) देखिये]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 का 30 की धारा 5 की उपधारा (2) और छ. ग. लोक न्यास नियम 1962 का नियम 5 (1) देखिये]

दुर्ग, दिनांक 27 नवम्बर 2006

पंजीयक, लोक न्यास, दुर्ग के समक्ष

क्रमांक/624/प्र.1/अ.वि.अ./2006.—चूंकि व्यवस्थापक श्रीमति दयावती पाण्डेय द्वारा मैत्री एजूकेशन ट्रस्ट, 1/3 मैत्री नगर, भिलाई ने छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 5 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह निर्दिष्ट की गयी न्यास पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 21-12-06 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने का सुझाव देने का विचार रखता हो, इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं तारन प्रकाश सिन्हा अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग एवं पंजीयक लोक न्यास, दुर्ग अपने न्यायालय में दिनांक 21-12-06 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर संकता है और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम एवं संपत्ति का वर्णन)

(1) लोक न्यास का नाम : मैत्री एजूकेशन ट्रस्ट, 1/3 मैत्री नगर, भिलाई

(2) चल संपत्ति : रु. 5000.00 (पांच हजार रुपये मात्र)

तारन प्रकाश सिन्हा,
अनुविभागीय अधिकारी एवं
पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.